भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 596

(दिनांक 17.09.2020 को उत्तर के लिए)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान संशोधन विधेयक

596. श्री नीरज डांगी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्य सभा में कितने दिन के भीतर पारित कराया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण संबंधित 117वें संविधान संशोधन विधेयक को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक की तरह त्वरित गति से लोक सभा में पारित कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : सरकार द्वारा दिनांक 08.01.2019 को लोक सभा में संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित किया गया था तथा इसे दिनांक 08.01.2019 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 08.01.2019 को इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 09.01.2019 को राज्य सभा द्वारा इसे पारित किया गया।

(ख) और (ग) : पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को अवरोध मुक्त आरक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सभा में संविधान (117वां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 17.12.2012 को इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।

तथापि, विधेयक पर 15वीं लोक सभा में विचार नहीं किया जा सका और इसके विघटन होने पर व्यपगत हो गया।

*****